



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

SIGNATURE

[Handwritten Signature]

Government of Uttar Pradesh

ACC NAME: SAMAR PRATAP
ACC CODE: UP14549804
KNO: 32, TEHSIL SIRATHU
ACC. DO. GARAJ Mo. - 9121506202
DISTT - KAUSHAMBI

17,500

e-Stamp

Locked By
Sro Sirathu
Kaushambi

17,500/17,500/17,500/17,500

Certificate No.	: IN-UP33097108075258U
Certificate Issued Date	: 04-Jul-2022 10:45 AM
Account Reference	: NEWIMPA001(SV)UP14549804/ SIRATHU/UP-KSM
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1454980458068742539194U
Purchased by	: Abhay Pratap Singh
Description of Document	: Article 35 Lease
Property Description	: Mauja Bheuntar Gata No 724 Etc Me se Lease Kiya
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: Abhay Pratap Singh
Second Party	: Abhay Pratap Singh
Stamp Duty Paid By	: Abhay Pratap Singh
Stamp Duty Amount (Rs.)	: 17,500 (Seventeen Thousand Five Hundred only)

सत्यमेव जयते

17,500



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

PU 0000375695

Disclaimer:

- The authenticity of the above certificate should be verified at www.stampsonline.gov.in & Stamp Public-Rep of Govt. having the responsibility of the certificate and its issuance on the website of the website.
- The issue of this certificate is subject to the terms and conditions of the certificate.
- In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

(2)

लीजडीड

1. तयशुदा धनराशि- 12,000 /रु० प्रति वर्ष की दर से।
2. समयावधि- 30 वर्ष।
3. देय स्टाम्प- 17,500 /रु०
4. ईस्टाम्प नं०- **IN-UP 33097108075258 U**
5. सम्पत्ति का विवरण- आराजी संख्या-724 रकबा 0.4700 हे० व गाटा संख्या-725 रकबा 0.5590 हे० व गाटा संख्या-727ड रकबा 0.2470 हे० कुल रकबा 1.2760 हे० में से 0.3120 हे०।
6. समय अवधि 30 वर्ष से अनधिक (दिनांक-31.01.2021 से 30.01.2051 तक)
7. पट्टा भूमि 30 वर्ष अवधि देय धनराशि-3,60,000 /रु०
उक्त आराजी नगरीय क्षेत्र अझुवा कौशाम्बी सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत है तथा ग्राम मौंतर परगना कडा तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी में स्थित है।



मैं पट्टादाता अमय प्रताप सिंह व पट्टायहीता अमय प्रताप सिंह को जानता व पहचानता हूँ उपरोक्त का ही चित्र है।

प्रथम पक्ष का नाम व पता

अमय प्रताप सिंह डिग्री कालेज अझुवा कौशाम्बी द्वारा बाबू युगराज सिंह सेवा संस्थान नई बाजार खागा फतेहपुर द्वारा मुख्य न्यायी अमय प्रताप सिंह पुत्र स्व० युगराज सिंह निवासी नई बाजार खागा जनपद फतेहपुर।

जन्मतिथि-01.01.1972 व

आ०न०- XXXX XXXX 9822 पैन नं०-AABTB 5829 P मो०-9005125000

अमय प्रताप सिंह

अमय प्रताप सिंह

(3)


द्वितीय पक्ष का नाम व पता

बाबू युगराज सिंह सेवा संस्थान नई बाजार खागा फतेहपुर द्वारा मुख्य न्यासी अभय प्रताप सिंह पुत्र स्व० युगराज सिंह निवासी नई बाजार खागा जनपद फतेहपुर।
जन्मतिथि-01.01.1972 व आ०न०- XXXX XXXX 9822 पैन न०-AABTB 5829 P
नो०-9005125000

प्रथम पक्ष 1 व 2 के द्वारा निम्न शर्तों के अनुसार द्वितीय पक्ष के हक में लीज खीड़ निष्पादित व सम्पादित की जाती है।

1. मैं कि प्रथम पक्ष अभय प्रताप सिंह पुत्र स्व० युगराज सिंह निवासी नई बाजार खागा तहसील खागा जनपद फतेहपुर जिसे न्यास की आम सभा की बैठक दिनांक-26.12.2020 को पट्टा विलेख निष्पादित कराने हेतु अधिकृत किया गया है। विदित हो कि मैं उपरोक्त आराजी संख्या-724 रकबा 0.4700 हे० व गाटा संख्या-725 रकबा 0.5590 हे० व गाटा संख्या-727ड रकबा 0.2470 हे० कुल रकबा 1.2760 हे० में से कुल 6050 वर्ग मीटर एवं उस पर निर्मित भवन का एक मात्र जायज व कानूनी मालिक/स्वामी व काबिज दखील हूँ शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालन हेतु उक्त भूखण्ड का क्य किया गया था उस पर भवन निर्मित कराया गया था। किन्तु उक्त उद्देश्य की पूर्ति न हो पाने के कारण उक्त भूखण्ड पर किसी भी प्रकार का कोई भी पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया जा रहा है। भूखण्ड हर प्रकार के भार से पाक साफ है जिसको द्वितीय पक्ष बाबू युगराज सिंह सेवा संस्थान नई बाजार खागा फतेहपुर द्वारा मुख्य न्यासी अभय प्रताप सिंह को फॉर्मैसी कालेज संचालन हेतु 30 वर्ष की अवधि के लिए रूपये मु०-12,000/रु० प्रतिवर्ष के हिसाब से एकमुश्त देय धनराशि पर रूपये मु०-3,60,000/रु० (तीन लाख साठ हजार रूपये मात्र) में पट्टे पर देने का निर्णय लिया। रूपये मु०-3,60,000/रु० पट्टादाला को एकमुश्त इस





आवेदन सं०: 202200885003946

पट्टा विलेख: कबूलियतनामा

वर्ष: 2022

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 3332

प्रतिफल: 360000 स्टाम्प शुल्क - 17500 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 36000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग 36000

श्री बाबू सुरराज सिंह सेवा संस्थान नई बाजार खामा फतेहपुर द्वारा
अभय प्रताप सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री स्व० सुरराज सिंह
काश्माप व्यापार
निवासी निवासी नई बाजार खामा जनपद फतेहपुर आधार काई



श्री बाबू सुरराज सिंह सेवा संस्थान नई बाजार खामा फतेहपुर द्वारा
अभय प्रताप सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 04/07/2022
एवं 12:08:50 PM बजे
निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सन्तोष कुमार मोर्य प्रभारी
उप निबंधक सिराधू
कोशाबी
04/07/2022
दिनेश सिंह
निबंधक लिपिक
04/07/2022


प्रिंट करें

(4)

पट्टा-विलेख के निष्पादन के पूर्व जरिये बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा फतेहपुर की चेक सं०-000269 के द्वारा अदा कर दिया गया है।

2. यह कि उक्त भूखण्ड को प्रथम पक्ष के द्वारा माननीय न्यायालय उपजिलाधिकारी सिराधू कौशाम्बी के वाद सं०-13 सन् 2011 व वाद सं० 31 सन् 2013 धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित कराया जा चुका है एवं उक्त भूखण्ड पर तीन तल का भवन निर्मित है। उक्त भूखण्ड व उस पर निर्मित भवन को 30 वर्षों के लिए पट्टाग्रहीता को दिनांक-31.01.2021 को पट्टे पर प्रदान कर रहा हूँ।
3. यह कि उक्त भूखण्ड/भूमि के सम्बन्ध में कोई भी कानूनी वाद न्यायालय में लंबित नहीं है। उक्त पट्टा 30 वर्षों के लिए अपरिवर्तनीय है। जिसे बीच में समाप्त नहीं किया जा सकेगा।
4. यह कि भूखण्ड/भवन सभी प्रकार के भार से मुक्त हैं।
5. यह कि प्रथम पक्ष पट्टा दाता की भूखण्ड और उस पर निर्मित भवन लीज डीड पर देने से पहले उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी धन सम्बन्ध उत्तरदायित्व/देनदारिया नहीं है।
6. यह कि उभय पक्ष उक्त भूखण्ड/भवन से संबंधित दूसरे कोई भूमि सम्बन्धी कानून तथा ग्रामीण/नगर निकाय जो भी लागू हो कानून का पालन करेंगे।
7. यह कि द्वितीय पक्ष पट्टा प्राप्तकर्ता को इस भूमि/भवन को किसी अन्य निकाय/व्यक्ति को पट्टा (लीज)करने का अधिकार नहीं होगा।
8. यह कि द्वितीय पक्ष पट्टा प्राप्तकर्ता भविष्य में ग्रामीण/नगरीय निकाय कानून अथवा अन्य भूमि सम्बन्धी कानून द्वारा निर्धारित समस्त कर का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।





वही सं० 1

रजिस्ट्रेशन सं०- 3332

वर्ष- 2022

निष्पादन लेखपत्र वाट सुलने व समझने मजसुम व प्राप्त धनराशि क प्रलेखानुसार उक्त पट्टा दाता ।

श्री अश्व प्रताप सिंह द्विती कालेज अदुवा कौशाबी के द्वारा
अश्व प्रताप सिंह , पुत्र श्री स्व० सुरराज सिंह
निवासी- निवासी नई बाजार खामा जनपद फतेहपुर-आधार
कार्ड
व्यवसाय- व्यापार
पट्टा गृहीता ।



श्री बाबू सुरराज सिंह सेवा संस्थान नई बाजार खामा फतेहपुर
के द्वारा अश्व प्रताप सिंह , पुत्र श्री स्व० सुरराज सिंह
निवासी- निवासी नई बाजार खामा जनपद फतेहपुर-आधार
कार्ड
व्यवसाय- व्यापार



ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान
पहचानकर्ता ।

श्री आशीष कुमार शुक्ला , पुत्र श्री लखन लाल
निवासी- निवासी बहलोलपुर ऐलई तहसील खामा जनपद
फतेहपुर आधार कार्ड
व्यवसाय- कृषि
पहचानकर्ता : 2



श्री राहुल सिंह , पुत्र श्री बचोली सिंह
निवासी- निवासी ग्राम केन परगना कड़ा तहसील सिराधू
जनपद कौशाबी आधार कार्ड
व्यवसाय- कृषि



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सन्तोष कुमार मोर्य प्रभारी
उप निबंधका सिराधू
कौशाबी
04/07/2022


दिनेश सिंह
निबंधक तिथिक कौशाबी
04/07/2022


ने की । प्रत्यक्ष भद्र साक्षियों के निशान अगुडे निवमानुसार
लिए गए है ।
टिप्पणी

प्रिंट करें

(5)

9. इस भू-भाग के मालियत की सरकारी मालियत के हिसाब से जो भी स्टाम्प आदि व्यय होगा वह द्वितीय पक्ष पट्टा प्राप्तकर्ता बाबू युगराज सिंह सेवा संस्थान नई बाजार खागा फतेहपुर द्वारा मुख्य न्यासी अमर प्रताप सिंह पुत्र स्व० युगराज सिंह निवासी नई बाजार खागा जनपद फतेहपुर के द्वारा देय होगा।
10. यह कि यदि निम्नांकित प्लॉट/भवन में भूस्वामी या वारिसान 30 वर्ष तक कोई आपत्ति करे तो वह कानूनन गलत व अमान्य होगा। पट्टा दिनांक-31.01.2021 से 30.01.2051 तक (30 वर्ष) चलती रहेगी एवं दिनांक-30.01.2051 के बाद स्वतः निरस्त हो जायेगी। पट्टा अवधि समाप्त होने के बाद यदि द्वितीय पक्ष चाहें तो प्रथम पक्ष की सहमति से पुनः अपने हक में पट्टा विलेख प्रजिकृत करा सकता है।
11. यह कि पट्टा अवधि समाप्त होने के उपरान्त द्वितीय पक्ष चल सम्पत्ति अचल सम्पत्ति यथा भूमि-भवन में से कुछ भी परिवर्तन अथवा अपना अधिकार एवं क्षति/क्षतिपूर्ति की मांग नहीं करेगा।
12. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भूखण्ड पर शैक्षणिक क्रियाकलाप हेतु आवश्यकतानुसार भवन का निर्माण अथवा निर्मित भवन में परिवर्तन करा सकता है।
13. पैमाइश- पुरुब से पश्चिम-65 मीटर, उत्तर से दक्षिण-48 मीटर, कुल भूमि-3120 मीटर।





(6)

चौहद्दी-

पूरब- पक्का रास्ता।

पश्चिम-प्रथम पक्ष का शेष भाग।

उत्तर- गाटा सं० 724 व 725 का शेष भाग।

दक्षिण- अभिरतापुर को जाने वाली सड़क।

अतः अपनी राजी खुशी से बिना किसी के डरवाये या धमकार्ये व बिना किसी अनुचित दबाव के स्वस्थ चित्त व शुद्ध बुद्धि की दशा में यह लीज डीड बाबू युगराज सिंह सेवा संस्थान नई बाजार खागा फतेहपुर द्वारा मुख्य न्यासी अग्रय प्रताप सिंह पुत्र स्व० युगराज सिंह निवासी नई बाजार खागा जनपद फतेहपुर के हक में बजरियें लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

अमरनाथ सिंह

अमरनाथ सिंह

(7)



ह0गवाह-1 अशीष कुमार शुक्ला पुत्र लखन लाल

निवासी-बहलोलपुर ऐलई तहसील खागा

जनपद फतेहपुर।

मो0-7379666606

Handwritten signature

ह0गवाह-2 राहुल सिंह पुत्र बचोली सिंह

निवासी-ग्राम केन परगना कड़ा

तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी।

मो0-8318785876



Handwritten signature

मसविदाकर्ता-विमल कुमार त्रिपाठी एडवोकेट

Handwritten signature and date: 04/07/2022

तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी पंजीयन नं0-सू0पी0 05250/17

कम्प्यूटर टाईपकर्ता- अनिल कुमार Anil Kumar

दिनांक-04.07.2022


Handwritten signature

Handwritten signature

आवेदन सं०: 202200885003946

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3145 के पृष्ठ 37 से 50 तक क्रमांक
3322 पर दिनांक 04/07/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


सन्तोष कुमार मोर्य प्रभारी
उप निबंधक सिराहू
कौशांबी
04/07/2022